

ation since the 15th October, 1952 to live in India with their Indian husbands;

(b) the number of women whose cases for such permission are at present under the consideration of Government; and

(c) when these cases are likely to be disposed of?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha as soon as it is available.

Pathankot Aerodrome

815. Sardar Iqbal Singh: Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to remodel the aerodrome at Pathankot for the purpose of safe landing of four engined and fast aircrafts; and

(b) if so, when the work will be completed?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Defence (Shri Fatesingh Rao Gaekwad): (a) Government have no plans for remodelling the Pathankot Aerodrome under consideration.

(b) Does not arise.

तस्कर व्यापार

८१६. श्री ए० सा० बारूपाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में १९५७ और १९५८ में अब तक अलग अलग कितने तस्कर व्यापार करने वाले गिरफ्तार किये गये; और

(ख) उन्हें सामान्यतया क्या दंड दिया गया ?

वित्त उपमंत्री (श्री ड० रा० भगत) :

(क) चोरी-छिपे माल लाने-लेजाने वाले जो व्यक्ति राजस्थान में गिरफ्तार किये गये

उनकी संख्या १९५७ और १९५८ में (३१ जनवरी तक) क्रमशः २९३ और २७ थी ।

(ख) ऐसे मामलो का निर्णय, धायात/निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियम नियमन अधिनियम के साथ पढ़े जाने वाले समुद्र और भूमि सीमा-शुल्क अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन विभाग द्वारा किया जाता है। इन उपबन्धों के अनुसार, पकड़ी गयी वस्तुएं जप्त की जा सकती हैं, जल्ती के बदले में जुर्माना किया जा सकता है और साथ ही पकड़ी गयी वस्तुओं के मूल्य की सामान्यतः तिगुनी रकम तक का जुर्माना किया जा सकता है। बहुत से मामलों में ऐसी विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है और कुछ मामलों के सम्बन्ध में जांच अभी जारी है। इस प्रकार की विभागीय कार्रवाई के अतिरिक्त जिन मामलो में अदालती दण्ड दिलाने के लिए अपराध और प्राप्त सबूत पर्याप्त समझा गया उन मामलों में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अदालतों में मुकदमे भी चलाये गये हैं।

Hindi in Matriculation Examination

817. Shri B. S. Murthy: Will the Minister of Education and Scientific Research be pleased to state:

(a) the number of non-Hindi speaking States which have made Hindi compulsory for matriculation, or its equivalent examination; and

(b) the Central assistance given in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Education and Scientific Research (Dr. K. L. Shrivallab): (a) and (b). The information is being collected from the States and will be supplied later.